

प्रेषक

उत्ति आ१२५०

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, (एन.सी.आर.), गुरुग्राम
3. सभी उप निर्देशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
4. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य।
5. सभी उप श्रम आयुक्त, पंचकूला, हरियाणा राज्य।
6. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
9. सभी सहायक निदेशक, औ०स्वा०-कम-सर्टीफाईंग सर्जन, हरियाणा राज्य।
10. कल्याण अधिकारी (महिला), पानीपत व फरीदाबाद।

।

क्रमांक: स्था०/०४/२०२०/१२५०२-५०२ दिनांक: २५/११/२०२०

विषय:-

**Regarding making necessary arrangements for implementation of e-office in all departments' district HQ/field offices.**

विषय सम्बंध में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार श्रम विभाग, मुख्यालय पर ई-ऑफिस लागू किया जा चुका है। अब मुख्यमंत्री डिजिटल सेल, मुख्य सचिव, हरियाणा और सूचना प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग, हरियाणा द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि क्षेत्रीय कार्यालयों में भी वर्ष २०२० के अंत तक ई-ऑफिस लागू किया जाये, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार लाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यालयों में स्थापित कंप्यूटर, स्कैनर व इंटरनेट व अन्य मूलभूत सुविधाएं संबंधी विवरण निम्न तालिका अनुसार दो दिन के अन्दर-अन्दर उपलब्ध करवाने का कष्ट करे, ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली समय पर लागू की जा सके :-

Sr. No.	Name of the Office	Number of Computers	Number of Scanners	facility of Internet	Requirement of Computers, Scanners & facility of internet.	Remarks if any

अतः इसे अति आवश्यक समझें।

  
अधीक्षक (स्था०)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।